19.10.2022 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी। सं. 1 से 2 के वकील उप0।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया, कि पक्षकारान की पैतृक पुश्तेनी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा जाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 120/1 रकबा 4.0693 हैक्टर व खसरा संख्या 4 रकबा 4.1340 हैक्ट व खसरा संख्या 4/2 रकबा 0.4854 हैक्ट कुल 8.6887 हैक्टयर का आया हुआ है। विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त कब्ज़ा काश्त व संयुक्त खातेदारी की सम्पति है। विवादित आराजी पक्षकारान के वालिद ताजा वल्द डूंगरा के नाम हुई। वादीगण, प्रतिवादी सं. 2 के दादा का देहान्त होने पर [illegible] भूमि का फौतेदगी ना.क.स. 12 व 13 प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम भरा जाकर उक्त खसरे की भूमि में उनका नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गया जबकि वादीगण, प्रतिवादी सं. 2 का नाम उपरोक्त पैतृक भूमि में दर्ज होना चाहिये था। चूंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Veema Ram
Date: 2022.11.17 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

93/2020

वादग्रस्त आराजी पैतृक खातेदारी है, पैतृक सम्पति मे पुत्र, पुत्री तथा पोते–पोती का जन्म से हक व हिस्सा होने से तथा विवादित आराजी पूर्व पुरूष स्व. ताजाराम से विरासत से प्राप्त हुई है। स्व. ताजाराम के फौत होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विवादित आराजी में प्रार्थीगण विप्रार्थी सं0 1 व 2 का सामुहिक रूप से हिस्सा हुआ। उपरोक्त खसरे की भूमि पैतृक, सहदायिकी एवं सयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त भूमि है जिसमें प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 2 का विप्रार्थी सं. 1 नवलाराम के साथ जन्म से हक उत्पन्न हो गया है और उक्त विप्रार्थी संख्या 1 के साथ सहदायिकी के रूप में सदस्य बन गये है। प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 2 का हित मिताक्ष्झरी सहदायिकी का हित सम्पति का यह अंश समझा जायेगा, जो उसे विभाजन में मिलता, अगर विभाजन उसकी (पिता) मृत्यु के ठीक पहले किया गया होता, इस बात का विचार किये बिना वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नही। विवादित आराजी प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 2 तथा विप्रार्थी सं. 1 की पैतृक भूमि होने के कारण तथा प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 2 विप्रार्थी सं. 1 के वैध उतराधिकारी होने के नाते उतराधिकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी सं. 2 का विवादित आराजी में जन्म से हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण विप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी सं. 2 के हिस्से की भूमि को बेचान व अन्तरण करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नही है क्योंकि यदि विप्रार्थी सं. 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी सं. 2 को उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से वंचित रखकर समस्त भूमि बैचान व अन्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीगण को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी क्योंकि प्रार्थीगण के पास उनके पूर्वजों की उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आय का कोई साधन नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मौजा जाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 120/1 रकबा 4.0693 हैक्टर व खसरा संख्या 4 रकबा 4.1340 हैक्ट व खसरा संख्या 4/2 रकबा 0.4854 हैक्ट कुल 8.6887 हैक्टयर का विप्रार्थीगण बैचान, रहन या अन्तरण तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करें एंव मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

इसके विपरित विप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर मौखिक रूप से सरे इजलास जाहिर किया कि वे वाद मय आवेदन के तथ्यों के सन्दर्भ में अपनी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं अद्यतन किया। जिसके अनुसार पाया गया कि विवादित आराजी मौजा जाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 120/1 रकबा 4.0693 हैक्टर व खसरा संख्या 4 रकबा 4.1340 हैक्ट व खसरा संख्या 4/2 रकबा 0.4854 हैक्ट कुल 8.6887 हैक्टयर भूमि विप्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष ताजाराम की होने से उसके वारिसान द्वारा पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत अपना हक हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया है है। जहां तक विवादित भूमि संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की होने से प्रार्थीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया जाना है, परन्तु यदि दौराने वाद में किसी पक्षकार द्वारा अपने हिस्से की सामलाती भूमि का बेचान इत्यादि करने अथवा मूल वाद के निर्णय से पूर्व वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है अथवा मौका परिस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ ही अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल सम्भावनाओं से [illegible] किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में [illegible] वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को जरिये स्थगन [illegible] पाबन्द किया जाना उचित समझती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 को जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी मौजा जाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

93/2020

खसरा संख्या 120/1 रकबा 4.0693 हैक्टर व खसरा संख्या 4 रकबा 4.1340 हैक्ट व खसरा संख्या 4/2 रकबा 0.4854 हैक्ट कुल 8.6887 हैक्टयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का बैचान इत्यादि नहीं कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested